IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की आर्थिक सशक्तिकरण में भूमिका: बिल्हा विकासखंड, बिलासपुर का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन ।

शोधार्थी : अखिलेश कुमार उइके

(राजनीति विज्ञान), सेठ आर.सी.एस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

शोध निर्देशक :डॉ. प्रमोद यादव

विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, सेठ आर सी एस कला एवम वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़

सारांशः

अध्ययन में आर्थिक सशक्तिकरण और चयनित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता के बीच संबंध का आकलन किया गया है। इसके लिए काई -स्केयर परीक्षण का उपयोग किया गया, जिससे विभिन्न आय-स्तरों और योजनाओं के प्रति "जागरूक" अथवा "गैर-जागरूक" होने की स्थिति के बीच सांख्यिकीय संबंध की जाँच की गई। यह परीक्षण प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग किया गया, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस योजना की जागरूकता किस आय-वर्ग में अधिक या कम है। परिणामों से यह ज्ञात हुआ कि महतारी वंदन योजना को छोड़कर शेष सभी योजनाओं के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध मौजूद है। इसका अर्थ है कि आय-स्तर बढ़ने के साथ योजनाओं के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है, जो यह संकेत देता है कि उच्च आय-वर्ग के लोग सूचना स्रोतों तक अधिक पहुँच रखते हैं और योजनाओं का लाभ लेने में अपेक्षाकृत अधिक सक्षम हैं।

यह तथ्य भी परिलक्षित होता है कि जागरूकता और उच्च आय-श्रेणी का संबंध कहीं-न-कहीं शिक्षा स्तर से भी प्रभावित हो सकता है। उच्च आय वाले वर्ग में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर होने की संभावना रहती है, जिससे वे सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने, उन्हें समझने और उनका लाभ उठाने में अधिक सक्षम होते हैं। यह निष्कर्ष अनुसूचित जनजातियों में न केवल आय-आधारित बल्कि शिक्षा-आधारित लक्षित प्रयासों की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है, ताकि आर्थिक सशक्तिकरण का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँच सके।

शब्द कुंजी: आर्थिक सशक्तिकरण, सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ, अनुसूचित जनजाति, आय-स्तर, जागरूकता, ग्रामीण विकास, शिक्षा स्तर

प्रस्तावना

वर्तमान अध्ययन में आर्थिक सशक्तिकरण और चयनित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक एवं गैर-जागरूक उत्तरदाताओं के बीच संबंध का आकलन किया गया है। इसमें विभिन्न आय-स्तरों के आधार पर यह समझने का प्रयास किया गया कि किस आय-वर्ग में योजनाओं के प्रति जागरूकता का स्तर अधिक है और किसमें कम। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि महतारी वंदन योजना को छोड़कर अन्य सभी योजनाओं में जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच स्पष्ट अंतर मौजूद है। इसका अर्थ यह है कि जैसे-जैसे आय-स्तर बढ़ता है, योजनाओं के प्रति जागरूकता का स्तर भी बढ़ता है। उच्च आय-वर्ग के लोग सूचना स्रोतों तक अपेक्षाकृत अधिक पहुँच रखते हैं और योजनाओं का लाभ उठाने में अधिक सक्षम होते हैं। यह भी परिलक्षित होता है कि उच्च आय और जागरूकता के बीच संबंध कहीं न कहीं शिक्षा के स्तर से भी जुड़ा है, क्योंकि उच्च आय-वर्ग में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर होने की संभावना रहती है, जिससे योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने, उन्हें समझने और लाभ लेने की क्षमता अधिक होती है।

छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के लिए आय के साधन सृजित करने, बेरोज़गारी को कम करने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने का प्रयास करती है। किंतु, जनजातीय विकास को संसाधनों एवं परिसंपत्तियों पर नियंत्रण की कमी, शिक्षा और कौशल की कमी, कुपोषण, स्वच्छ जल और आवास की कमी, असुरक्षा, अपराध, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक अलगाव, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव और खाद्य सुरक्षा की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है (चंद्राकर और दास , 2023)। इन बाधाओं के कारण उनका जीवन स्तर निम्न बना रहता है और इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के लिए शासन निरंतर योजनाएँ संचालित कर रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों का है, जो राज्य के लगभग 65% क्षेत्र में फैला है। राज्य में सात जिले पूर्णतः और छह जिले आंशिक रूप से जनजाति-प्रधान हैं। बिलासपुर जिले में मुख्यतः गोंड, बैगा, भैना, अगरिया, कोल, धनवार, सौता, प्रधान, शिकारी और पाव जनजातियाँ निवास करती हैं। ऐतिहासिक रूप से ये जनजातियाँ सामाजिक-आर्थिक शोषण की शिकार रही हैं और आज भी अधिकांशतः निम्न आय वाले व्यवसायों, असुरक्षित कार्य स्थितियों और अस्वस्थ पर्यावरण में जीवनयापन कर रही हैं (सलाम और कोलय)। इस अध्ययन का उद्देश्य चयनित सरकारी योजनाओं के प्रति स्थानीय जनजातीय समुदाय की जागरूकता का मूल्यांकन करना तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर इसके प्रभाव को समझना था। परिणाम बताते हैं कि यद्यपि जागरूकता में कुछ योजनाओं के प्रति वृद्धि देखी गई है, फिर भी कई योजनाओं के संदर्भ में अब भी पर्याप्त जानकारी का अभाव है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल आय-आधारित नहीं, बल्कि शिक्षा-आधारित लक्षित प्रयासों की भी आवश्यकता है, ताकि योजनाओं का लाभ सभी आय-वर्गों और सभी जनजातीय समूहों तक समान रूप से पहुँच सके।

सम्बंधित साहित्य का अध्ययन-

गुप्ता और कुशवाहा (2024) ने पांडो जनजाति के जीवन-स्तर पर छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन में यह पाया गया कि सरकार द्वारा संस्कृति संरक्षण, जीवन-स्तर उन्नयन तथा विशेष प्रावधानों के माध्यम से जनजातियों को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से पांडो, गोंड, नागेसिया और अन्य जनजातियों के लिए कई योजनाएँ संचालित हैं, जो उनके आवास, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण में सहायक हैं।

कर्णिकोटी और बाबू (2024) ने मनरेगा के अनुसूचित जनजातियों पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन किया। उन्होंने पाया कि इस योजना ने रोजगार सुरक्षा, परिसंपत्ति सृजन और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया, किंतु कार्य की गुणवत्ता और स्थायित्व में सुधार की आवश्यकता है।

ओ. सी. और वायलमब्रोन (2024) ने विकेन्द्रीकृत योजना के तहत पंचायत स्तर पर जनजातीय विकास के लिए धन आवंटन और उपयोग का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि यद्यपि पंचायती संस्थाओं को अधिक निर्णय लेने की शक्ति दी गई है, फिर भी धन के प्रवाह में वर्ष दर वर्ष समानुपाती वृद्धि नहीं हो रही, जिससे हाशिए पर स्थित समुदायों तक योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं पहुँच पा रहा है।

सोनी (2024) ने छत्तीसगढ़ सरकार की जनजातीय शिक्षा में भूमिका का अध्ययन किया। दंतेवाड़ा और जशपुर ज़िलों में किए गए फील्ड सर्वे में यह निष्कर्ष निकला कि अश्रमशालाओं, छात्रावासों और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना ने जनजातीय छात्रों की शैक्षिक स्थिति में सुधार किया है और उन्हें व्यापक विकास के अवसर प्रदान किए हैं।

सोनवानी (2024) ने छत्तीसगढ़ में जाति-आधारित सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि शिक्षा, रोजगार और आय में अब भी अनुसूचित जनजातियों और अन्य वर्गों के बीच उल्लेखनीय अंतर है, जिसे पाटने के लिए नीतियों की प्रभावशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है।

कुमार और सेठ (2024) ने बिलासपुर ज़िले के ग्रामीण विकास की चुनौतियों और संभावनाओं पर अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि भौगोलिक और सामाजिक कारकों के कारण विकास में असमानता है, जिसे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण से दूर किया जा सकता है।

रविकुमार (2023) ने भारत में अनुसूचित जनजातियों की गरीबी उन्मूलन से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि यद्यपि गरीबी दर में कमी आई है, फिर भी सामान्य जनसंख्या की तुलना में ST समुदायों के साथ अंतर बना हुआ है। उन्होंने जमीनी स्तर पर गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की सिफारिश की।

राजू (2021) ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास हेतु संचालित योजनाओं का विश्लेषण किया। उन्होंने दर्शाया कि आरक्षण, शैक्षिक सुविधाओं और रोजगार के अवसरों के माध्यम से सरकार सामाजिक-आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास कर रही है।

मल्याद्री (2020) ने तेलंगाना के खम्मम ज़िले में 120 जनजातीय महिलाओं पर अध्ययन कर यह पाया कि आय-सृजन योजनाओं से उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बैंकों द्वारा वित्तपोषित कल्याणकारी योजनाओं ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर सशक्तिकरण में योगदान दिया, किंतु अधिकांश महिलाओं में सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव पाया गया।

पाणिग्रही (2017) ने बस्तर ज़िले में जनजातीय महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण का अध्ययन किया और पाया कि महिलाएँ परिवार की आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, फिर भी अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्याएँ, कम मजदूरी और नेतृत्व के अवसरों की कमी उनके विकास में बाधा हैं।

स्वामी और राव (2016) ने चिंचू जनजाति के संदर्भ में बताया कि कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTGs) अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि योजनाओं की पहुँच और क्रियान्वयन में सुधार के बिना उनके जीवन-स्तर में अपेक्षित परिवर्तन संभव नहीं है।

होननुर्स्वामी (2013) ने भारत में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण किया और पाया कि योजनाओं के बावजूद गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। उन्होंने योजना क्रियान्वयन में सुधार और जनजातियों के लिए विशेष रणनीतियों की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रसाद (2011) ने अनुसूचित क्षेत्रों में आत्म-शासन हेतु जनजातियों की क्षमता-विकास और सशक्तिकरण पर बल दिया। 73वें संविधान संशोधन और पेसा अधिनियम (1996) को जनजातीय स्व-शासन का आधार मानते हुए उन्होंने तर्क दिया कि संसाधनों पर पारंपरिक अधिकारों के संरक्षण के साथ स्थानीय नेतृत्व और विकेन्द्रीकृत शासन से ही वास्तविक सशक्तिकरण संभव है।

स्वामिनाधन (2005) ने अपने अध्ययन में बताया कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए अनेक अनुच्छेदों के तहत सकारात्मक भेदभाव और विशेष सुरक्षा प्रावधान दिए गए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही जनजातीय कल्याण को उच्च प्राथमिकता दी गई, किंतु वास्तविक सशक्तिकरण के लिए शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर विशेष प्रयास आवश्यक हैं, साथ ही सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित रखा जाना चाहिए।

अध्धयन के उद्देश्य

1. विभिन्न आय-स्तरों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में चयनित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता के स्तर का मूल्यांकन करना।
2. चयनित सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के बीच संबंध का आकलन करना।

अनुसन्धान कार्यविधि

यह अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड में अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के बीच संबंध के विश्लेषण पर केंद्रित है। विकासखंड में कुल 85 ग्राम स्थित हैं। इन ग्रामों की सूची तैयार कर उन्हें 1 से 85 तक क्रमांकित किया गया। इसके पश्चात व्यवस्थित प्रतिचयन पद्धति का उपयोग करते हुए प्रत्येक 8वें क्रमांकित गाँव का चयन किया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु चयनित 10 गाँव इस प्रकार हैं: अमलडीहा, भैसबोड़, छोराभैना, दुर्गुदीह, हिर्री, खमरडीह, कुँवा, मोहभाठा, परसादा तथा रहंगी। अध्ययन के लिए कुल 120 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। प्रत्येक गाँव से 12 उत्तरदाताओं (6 पुरुष एवं 6 महिला) का चयन सरल यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति से किया गया, जिससे पुरुष और महिला उत्तरदाताओं का अनुपात 50-50 प्रतिशत सुनिश्चित हो सके। चयनित उत्तरदाताओं में केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति शामिल किए गए। अध्ययन में प्राथमिक आंकड़ों का उपयोग किया गया, जो संरचित प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किए गए। प्रश्नावली में उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, मासिक आय-श्रेणी, चयनित 9 सरकारी योजनाओं के

प्रति जागरूक अथवा गैर-जागरूक स्थिति, तथा योजनाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभाव से संबंधित प्रश्न सम्मिलित थे।

आंकड़े एकत्र करने के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार विधिअपनाई गई, जिससे उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष और सटीक जानकारी प्राप्त की जा सके। संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय तकनीकों की सहायता से किया गया, जिसमें विशेष रूप से काई -स्क्वेयर परीक्षण का उपयोग विभिन्न आय-स्तरों और योजनाओं के प्रति जागरूकता के बीच संबंध की जाँच करने तथा परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए किया गया।

सीमाएं

इस अध्ययन में कुछ सीमाएँ निहित हैं, जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। सबसे पहले, यह अध्ययन केवल बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड तक सीमित है, इसलिए इसके निष्कर्षों को संपूर्ण छत्तीसगढ़ या अन्य क्षेत्रों पर सीधे रूप से लागू नहीं किया जा सकता। अध्ययन में केवल 10 चयनित गाँवों के 120 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया है, जिससे प्राप्त निष्कर्ष सीमित जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तरदाताओं के चयन में यद्यपि व्यवस्थित प्रतिचयन और सरल यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति का उपयोग किया गया है, फिर भी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और सामाजिक वांछनीयता के कारण उत्तरों में असंगति संभव है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन में आय-श्रेणी और योजनाओं के प्रति जागरूक अथवा गैर-जागरूक स्थिति के बीच संबंध की जाँच के लिए केवल काई - परीक्षण का उपयोग किया गया है। अन्य सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग न होने के कारण कुछ कारकों के गहन प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। अध्ययन में उत्तरदाताओं की शिक्षा, सामाजिक भागीदारी और सूचना स्रोतों जैसे कारकों को परोक्ष रूप से परिणामों में व्याख्यायित किया गया है, किन्तु उनका पृथक मात्रात्मक विश्लेषण नहीं किया गया। इसके अलावा, अध्ययन में योजनाओं के प्रति जागरूकता को उत्तरदाताओं के स्वयं के कथनों के आधार पर मापा गया है, जिसका अर्थ है कि वास्तविक जानकारी और कथित जानकारी में अंतर संभव है। समय और संसाधनों की सीमाओं के कारण अध्ययन में केवल चयनित 9 योजनाओं को सम्मिलित किया गया, जबकि राज्य में अनुसूचित जनजातियों हेतु अन्य कई योजनाएँ भी संचालित हैं, जिन्हें शामिल करने से अधिक व्यापक परिणाम प्राप्त हो सकते थे।

शोध परिकल्पनाएं

परिकल्पना 1: मोर आवास, मोर अधिकार योजना

- H_0 (शून्य परिकल्पना): मोर आवास, मोर अधिकार योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।
- H_1 (वैकल्पिक परिकल्पना): मोर आवास, मोर अधिकार योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

परिकल्पना 2: महतारी वंदन योजना

- H_0 (शून्य परिकल्पना): महतारी वंदन योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।
- H_1 (वैकल्पिक परिकल्पना): महतारी वंदन योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

परिकल्पना 3: पूर्व-मैट्रिक एवं पश्चात-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

- H_0 (शून्य परिकल्पना): पूर्व-मैट्रिक एवं पश्चात-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।
- H_1 (वैकल्पिक परिकल्पना): पूर्व-मैट्रिक एवं पश्चात-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

परिकल्पना 4: सरस्वती साइकिल योजना

- H_0 (शून्य परिकल्पना): सरस्वती साइकिल योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।
- H_1 (वैकल्पिक परिकल्पना): सरस्वती साइकिल योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

परिकल्पना 5: सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना

- H_0 (शून्य परिकल्पना): सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।
- H_1 (वैकल्पिक परिकल्पना): सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

परिकल्पना 6: जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना

- H_0 (शून्य परिकल्पना): जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।
- H_1 (वैकल्पिक परिकल्पना): जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

परिकल्पना 7: शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान योजना

- H_0 (शून्य परिकल्पना): शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।
- H_1 (वैकल्पिक परिकल्पना): शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

परिकल्पना 8: डॉ. भंवर सिंह पोर्ते सम्मान योजना

- H_0 (शून्य परिकल्पना): डॉ. भंवर सिंह पोर्ते सम्मान योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

- H_1 (वैकल्पिक परिकल्पना): डॉ. भंवर सिंह पोर्ते सम्मान योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

परिकल्पना 9: युवा कैरियर निर्माण योजना

- H_0 (शून्य परिकल्पना): युवा कैरियर निर्माण योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।
- H_1 (वैकल्पिक परिकल्पना): युवा कैरियर निर्माण योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या-

तालिका क्रमांक: 01

परिवार की आय-श्रेणियाँ (मासिक परिवारिक आय – ₹ में)

आय-स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत (%)	मान्य प्रतिशत	संचयी प्रतिशत
₹0 – ₹5,000 → अत्यंत निम्न आय (बहुत गरीब वर्ग)	31	25.4	25.8	25.8
₹5,001 – ₹10,000 → निम्न आय वर्ग	50	41	41.7	67.5
₹10,001 – ₹15,000 → निचला-मध्यम वर्ग	17	13.9	14.2	81.7
₹15,001 – ₹20,000 → मध्यम आय वर्ग	14	11.5	11.7	93.3
₹20,001 और उससे अधिक → उच्च आय वर्ग	8	6.6	6.7	100
कुल	120	100	100	—

तालिका क्रमांक 01 उत्तरदाताओं के परिवार की मासिक आय-श्रेणियों का विवरण प्रस्तुत करती है, जो अध्ययन क्षेत्र की आर्थिक स्थिति का प्रारंभिक संकेत देती है। आंकड़ों के अनुसार, सर्वाधिक 41.0 प्रतिशत उत्तरदाता ₹5,001 से ₹10,000 की मासिक आय वाले निम्न आय वर्ग में आते हैं, जो कुल नमूने का 41.7 प्रतिशत (मान्य प्रतिशत) है। इसके बाद 25.4 प्रतिशत उत्तरदाता अत्यंत निम्न आय वर्ग (₹0 – ₹5,000) में पाए गए, जो कि आर्थिक रूप से अत्यधिक वंचित स्थिति का संकेत करता है। निचला-मध्यम आय वर्ग (₹10,001 – ₹15,000) के अंतर्गत 13.9 प्रतिशत उत्तरदाता आते हैं, जबकि मध्यम आय वर्ग (₹15,001 – ₹20,000) में 11.5 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं। उच्च आय वर्ग (₹20,001 और उससे अधिक) में केवल 6.6 प्रतिशत उत्तरदाता पाए गए, जो अपेक्षाकृत कम है। संचयी प्रतिशत से स्पष्ट है कि 67.5 प्रतिशत उत्तरदाता ₹10,000 या उससे कम मासिक आय वाले हैं, जो कि अध्ययन क्षेत्र में निम्न आर्थिक स्थिति की व्यापकता को दर्शाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तरदाताओं का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, जिससे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह आय-वितरण संरचना न केवल आर्थिक सशक्तिकरण के स्तर का आकलन करने में सहायक है, बल्कि योजनाओं के प्रति जागरूकता और उनके लाभ उठाने की क्षमता के बीच संबंध के विश्लेषण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

तालिका क्रमांक: 02

सभी योजनाओं के प्रति जागरूकता का आय-श्रेणी के साथ संबंध

क्रमांक	योजना का नाम	जागरूक (हाँ)	जागरूक (नहीं)	कुल	जागरूक %
1	मोर आवास, मोर अधिकार योजना	72	48	120	60
2	महतारी वंदन योजना	119	1	120	99.17
3	पूर्व/पश्चात-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	64	56	120	53.33
4	सरस्वती साइकिल योजना	66	54	120	55
5	सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना	35	85	120	29.17
6	जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	44	76	120	36.67
7	शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान योजना	38	82	120	31.67
8	डॉ. भंवर सिंह पोर्ते सम्मान योजना	33	87	120	27.5
9	युवा कैरियर निर्माण योजना	35	85	120	29.17

तालिका क्रमांक 02 में चयनित नौ प्रमुख सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति उत्तरदाताओं की जागरूकता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। आंकड़ों के अनुसार, महतारी वंदन योजना के प्रति सर्वाधिक 99.17 प्रतिशत उत्तरदाता जागरूक पाए गए, जो यह दर्शाता है कि यह योजना अध्ययन क्षेत्र में व्यापक रूप से जानी-पहचानी है। इसके विपरीत, डॉ. भंवर सिंह पोर्ते सम्मान योजना के प्रति जागरूकता न्यूनतम 27.50 प्रतिशत रही, जो इस योजना की जानकारी प्रसार में कमी का संकेत देती है। मोर आवास, मोर अधिकार योजना (60%), सरस्वती साइकिल योजना (55%) और

पूर्व/पश्चात-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (53.33%) के प्रति जागरूकता का स्तर मध्यम पाया गया। वहीं, सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना (29.17%), युवा कैरियर निर्माण योजना (29.17%), और शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान योजना (31.67%) में जागरूकता का स्तर अपेक्षाकृत कम रहा। इन परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि कुछ योजनाओं की जानकारी स्थानीय समुदाय में व्यापक रूप से प्रसारित हुई है, जबकि अन्य योजनाओं के प्रति जागरूकता का स्तर काफी कम है। यह अंतर सूचना प्रसार की रणनीतियों, लक्षित लाभार्थियों की पहुँच, और योजनाओं की प्रासंगिकता पर निर्भर हो सकता है। परिणाम इस बात की ओर भी संकेत करते हैं कि जागरूकता का स्तर आय-श्रेणी, शिक्षा, और सूचना स्रोतों तक पहुँच जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है, जिससे नीति-निर्माताओं को जागरूकता अभियान और कार्यान्वयन रणनीतियों को अधिक लक्षित करने की आवश्यकता है।

तालिका क्रमांक: 03

आय-श्रेणी और योजनाओं के प्रति जागरूकता का χ^2 परीक्षण परिणाम

क्रमांक	योजना का नाम	χ^2 मान	df	p-मूल्य	निर्णय
1	मोर आवास, मोर अधिकार योजना	26.666	4	0.00	H_0 अस्वीकार (महत्वपूर्ण संबंध)
2	महतारी वंदन योजना	2.895	4	0.576	H_0 स्वीकार (कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं)
3	पूर्व-मैट्रिक एवं पश्चात-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	25.606	4	0.00	H_0 अस्वीकार (महत्वपूर्ण संबंध)
4	सरस्वती साइकिल योजना	35.765	4	0.00	H_0 अस्वीकार (महत्वपूर्ण संबंध)
5	सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना	68.137	4	0.00	H_0 अस्वीकार (महत्वपूर्ण संबंध)
6	जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	48.406	4	0.00	H_0 अस्वीकार (महत्वपूर्ण संबंध)
7	शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान योजना	44.472	4	0.00	H_0 अस्वीकार (महत्वपूर्ण संबंध)
8	डॉ. भंवर सिंह पोर्ते सम्मान योजना	48.074	4	0.00	H_0 अस्वीकार (महत्वपूर्ण संबंध)
9	युवा कैरियर निर्माण योजना	36.377	4	0.00	H_0 अस्वीकार (महत्वपूर्ण संबंध)

तालिका के आंकड़े चयनित नौ सरकारी योजनाओं के प्रति उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी और जागरूकता स्तर के बीच संबंध की जाँच को प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए प्रत्येक योजना हेतु शून्य परिकल्पना (H_0) और वैकल्पिक परिकल्पना (H_1) बनाई गई थी। शून्य परिकल्पना (H_0) – संबंधित योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। वैकल्पिक परिकल्पना (H_1) – संबंधित योजना के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। जब p-मूल्य (p-value) 0.05 से कम पाया गया, तो H_0 अस्वीकार कर H_1 स्वीकार की गई, जिसका अर्थ है कि योजना के प्रति जागरूकता और आय-श्रेणी के बीच एक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध मौजूद है। इसके विपरीत, यदि p-मूल्य 0.05 से अधिक रहा, तो H_0 स्वीकार की गई, जिसका अर्थ है कि दोनों के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। महतारी वंदन योजना को छोड़कर सभी योजनाओं में p-मूल्य 0.00 (0.05 से कम) प्राप्त हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी और जागरूकता के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। इसका अर्थ है कि जैसे-जैसे आय स्तर बढ़ता है, योजनाओं के प्रति जागरूकता भी बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। महतारी वंदन योजना में p-मूल्य 0.576 (0.05 से अधिक) रहा, जिससे H_0 स्वीकार हुई। इसका अर्थ है कि इस योजना के प्रति जागरूकता सभी आय-श्रेणियों में लगभग समान है, और इसमें आय-स्तर का प्रभाव नगण्य है। यह संभवतः इस योजना की व्यापक प्रचार-प्रसार रणनीति और सीधी लाभ अंतरण की वजह से हो सकता है, जिससे हर वर्ग तक इसकी जानकारी पहुँची है। अन्य योजनाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना, जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना, डॉ. भंवर सिंह पोर्ते सम्मान योजना आदि में p-मूल्य 0.00 और χ^2 मान अपेक्षाकृत अधिक रहे, जो यह दर्शाता है कि इन योजनाओं के बारे में उच्च आय-श्रेणी के लोग अधिक जागरूक हैं। इसका कारण उनकी सूचना स्रोतों तक बेहतर पहुँच, उच्च शिक्षा स्तर और सामाजिक नेटवर्क हो सकता है। सार रूप में, परिणाम यह दर्शाते हैं कि अधिकांश योजनाओं में आय-स्तर और जागरूकता के बीच प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण संबंध है, जबकि कुछ योजनाएँ जैसे महतारी वंदन योजना सभी आय-वर्गों में समान रूप से जानी-पहचानी हैं। यह निष्कर्ष नीति-निर्माताओं के लिए यह संकेत देता है कि कम जागरूकता वाली योजनाओं के प्रचार-प्रसार में विशेषकर निम्न आय-वर्गों को लक्षित करना आवश्यक है, ताकि योजनाओं के लाभ का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

निष्कर्ष

अध्ययन के परिणाम यह दर्शाते हैं कि चयनित नौ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में से महतारी वंदन योजना को छोड़कर सभी योजनाओं के प्रति जागरूकता और उत्तरदाताओं की आय-श्रेणी के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध पाया गया। यह संकेत देता है कि अधिकांश योजनाओं में जागरूकता का स्तर उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। मोर आवास, मोर अधिकार योजना में 60 प्रतिशत उत्तरदाता जागरूक पाए गए, जिसमें निम्न और उच्च आय वर्ग में जागरूकता अपेक्षाकृत अधिक रही। महतारी वंदन योजना में लगभग सभी आय वर्गों में समान रूप से अत्यधिक जागरूकता (99.17 प्रतिशत) दर्ज की गई और यह संबंध आय से स्वतंत्र पाया गया। पूर्व एवं पश्चात-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 53.33 प्रतिशत जागरूकता रही, जो उच्च और निचले-मध्यम आय वर्ग में अधिक थी। सरस्वती साइकिल योजना में 55 प्रतिशत जागरूकता पाई गई, जिसमें मध्यम एवं उच्च आय वर्ग में यह स्तर 100 प्रतिशत रहा। सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना में मात्र 29.17 प्रतिशत जागरूकता रही, जो उच्च और मध्यम आय वर्ग में अपेक्षाकृत अधिक थी। जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना में 36.67 प्रतिशत उत्तरदाता जागरूक पाए गए, जिसमें उच्च आय वर्ग में यह स्तर सर्वाधिक था। शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान योजना में 31.67 प्रतिशत, डॉ. भंवर सिंह पोर्ते

सम्मान योजना में 27.50 प्रतिशत और युवा कैरियर निर्माण योजना में 29.17 प्रतिशत उत्तरदाता जागरूक पाए गए, और इन सभी में उच्च आय वर्ग में जागरूकता अधिक रही। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि उच्च आय वर्ग के लोगों में शिक्षा का स्तर और सूचना स्रोतों तक पहुँच अधिक होने के कारण योजनाओं के प्रति जागरूकता भी अधिक है, जबकि निम्न और अत्यंत निम्न आय वर्ग में यह स्तर सीमित है। परिणामस्वरूप, अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु केवल योजनाओं का निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि लक्षित जन-जागरूकता अभियान, ग्राम-स्तरीय सूचना तंत्र, स्थानीय भाषा में संचार और शिक्षा स्तर में सुधार जैसे उपाय आवश्यक हैं। विशेष रूप से उन योजनाओं में, जिनकी जागरूकता का स्तर कम है, सूचना प्रसार और पहुँच तंत्र को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि सभी पात्र वर्ग समान रूप से लाभान्वित होकर आर्थिक सशक्तिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें।

सुझाव

इस अध्ययन के आधार पर यह सुझाव दिया जाता है कि जिन योजनाओं के प्रति जागरूकता का स्तर कम पाया गया है, उनके लिए विशेष जागरूकता अभियान गाँव-स्तर तक पहुँचाए जाएँ, ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी इनका लाभ ले सकें। सूचना संप्रेषण के लिए स्थानीय भाषाओं जैसे गोंडी, हल्बी आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे संदेश आसानी से समझा जा सके। निम्न और अत्यंत निम्न आय वर्ग में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का स्तर योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने और उनका लाभ उठाने की क्षमता को बढ़ाता है। पंचायत, आंगनवाड़ी और स्कूलों जैसे स्थानीय संस्थानों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साथ ही, योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु एक सुदृढ़ समीक्षा और निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, ताकि लक्षित समूहों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुँच सके।

संदर्भ

- गुप्ता, आर. के., एवं कुशवाहा, ए. के. (2024). छत्तीसगढ़ राज्य की सरकारी योजनाओं के पांडो जनजाति के जीवन-स्तर पर प्रभाव का अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च पब्लिकेशंस, 14(8), 18–24. https://doi.org/10.29322/ijsrp.14.08.2024.p15204
- कर्णिकोटी, एस., एवं बाबू, एम. आर. (2024). अनुसूचित जनजातियों पर मनरेगा का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव। इंडियन जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च, 65–67. https://doi.org/10.36106/ijar/7111298
- ओ. सी., एस., एवं वायलमब्रोन, एल. (2024). विकेन्द्रीकृत योजना: पंचायत स्तर पर जनजातीय विकास हेतु धन का आवंटन और उपयोग। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च, 12(06), 254–261. https://doi.org/10.21474/ijar01/18874
- सोनी, ए. (2024). जनजातीय शिक्षा में छत्तीसगढ़ सरकार की दृष्टिकोण और भूमिका। इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन एंथ्रोपोलॉजी. https://doi.org/10.21088/ijra.2454.9118.10124.4
- सोनवानी, एफ. के. (2024). छत्तीसगढ़ राज्य में जाति-आधारित सामाजिक एवं आर्थिक असमानता का अध्ययन। रिसर्च जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, 180–182. https://doi.org/10.52711/2321-5828.2024.00027
- कुमार, पी., एवं सेठ, एम. (2024). ग्रामीण विकास की चुनौतियाँ और संभावनाएँ: बिलासपुर जिला (छत्तीसगढ़) का एक अध्ययन। शोध सरी, 03(03), 49–59. https://doi.org/10.59231/sari7717
- रविकुमार, एस. (2023). भारत में अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण हेतु गरीबी उन्मूलन: मुद्दे और चुनौतियाँ। इकोनॉमिक अफेयर्स. https://doi.org/10.46852/0424-2513.3.2023.12

- चंद्राकर, के., चंद्राकर, डी. के., एवं दास, डी. (2023). छत्तीसगढ़ की जनजातीय आबादी का सशक्तिकरण: बाधाएँ और अवसर। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च आर्काइव, 8(1), 766–770. https://doi.org/10.30574/ijsra.2023.8.1.0081
- राजू, के. वी. (2021). अनुसूचित जातियों के विकास हेतु कल्याणकारी योजनाएँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च, 10(10), 927–929. https://doi.org/10.21275/sr211018235138
- मल्याद्री, पी. (2020). जनजातीय महिलाओं के सतत विकास हेतु आय-सृजन योजनाएँ। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, 8(1), 634–641. https://doi.org/10.18510/HSSR.2020.8176
- पाणिग्रही, एस. (2017). छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में जनजातीय महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण: एक अध्ययन। अभिनव-नेशनल मंथली रेफरीड जर्नल ऑफ रिसर्च इन आर्ट्स एंड एजुकेशन, 6(1), 8–12. https://abhinavjournal.com/journal/index.php/ISSN-2277-1182/article/download/1228/pdf_93
- स्वामी, जी. ए., एवं राव, के. वी. (2016). चिंचू जनजाति और सरकारी योजनाएँ: योगदान और पहुँच का अध्ययन। इम्पीरियल जर्नल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, 2(11).
- होननुर्स्वामी, एन. (2013). भारत में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ।
- प्रसाद, आर. आर. (2011). भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों की आत्म-शासन हेतु क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण। 11(2), 385–399. https://doi.org/10.1177/0976343020110215
- स्वामिनाधन, डी. (2005). जनजातीय कल्याण और विकास। रिसर्च पेपर्स इन इकॉनॉमिक्स. https://ideas.repec.org/p/ess/wpaper/id200.html

16. सलाम, पी., एवं कोले, एस. के. (तिथि अनुपलब्ध). जनजातीय विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन और स्वीकृति: बस्तर की स्थिति। https://doi.org/10.21088/ijra.2454.9118.4218.3

- तिर्की, एस. (तिथि अनुपलब्ध). बस्तर, छत्तीसगढ़ के हल्बा जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक और साक्षरता स्थिति। https://doi.org/10.31305/rrijm.2021.v06.i11.014
- मुद्गल, एस., एवं शर्मा, जे. वी. (तिथि अनुपलब्ध). मध्य प्रदेश में वनवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव। https://doi.org/10.21474/ijar01/11722